



565

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

दिनांक: 8 मार्च 2019

पत्रांक: 1162/03/76/एक/2018-19

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गोरखपुर।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के उपघटक शहरी पथ विक्रेता प्लान के अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से धनराशि योजनान्तर्गत जनपद पर खोला गया बचत खाता जो पीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार पंजीकृत है में अन्तर्गत की जा रही है।

(धनराशि ₹० में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	परियोजना लागत	शहरी पथ विक्रेता प्लान के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	आगरा	पंजाब नेशनल बैंक	0983000100251740	4033000.00	1613000.00
2	प्रयागराज (इलाहाबाद)	एच०डी०एफ०सी० बैंक	50100080772162	1938000.00	775000.00
3	शाहजहांपुर	इलाहाबाद बैंक	50280029606	1803000.00	721000.00
	योग			7774000.00	3109000.00

1-उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2-धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-डे-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4-कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार पूर्ण कर दिये गये हैं।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना अधिकारी, डे-एनयूएलएम-सूडा।
- 3- वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक